भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †468
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

चूना पत्थर का पुनर्वर्गीकरण

†468. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च, 2026 की अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि के अनुसरण में चूना पत्थर (लाइम स्टोन) के मौजूदा लघु खनिज पट्टाधारकों के लिए अनुपालन आंकड़ों के वर्तमान प्रतिशत का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने संक्रमण अवधि के दौरान भारतीय खान ब्यूरो को विवरणी दाखिल न करने अथवा देरी से दाखिल करने से संबंधित जुर्माने से अस्थायी छूट प्रदान की है और यदि हां, तो इस छूट का दायरा और अवधि क्या है;
(ग) 31 मार्च, 2027 तक खनन योजनाओं के अनुमोदन और वैधता के संबंध में जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;
(घ) अद्यतन नीतिगत ढांचे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित खनन समृद्ध राज्यों में खनिज रियायतों के लिए लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करने और उनका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ङ) देश में चूना पत्थर उत्पादक राज्यों की सूची का ब्यौरा क्या है और संबंधित सक्रिय चूना पत्थर की खानों औरतदनुरूपी खानधारक (माइनर) का ब्यौरा क्या है; और
(च) छत्तीसगढ़ सहित देश में पाए जाने वाले और खनन किए जाने वाले सभी गौण खनिजों की राज्य-वार सूची क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): केंद्र सरकार ने 10.10.2025 की अधिसूचना के माध्यम से सभी प्रकार के चूना पत्थर खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, खान और खनिज

(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 20क के तहत दिनांक 13.10.2025 के आदेशानुसार, चूना पत्थर के मौजूदा गौण खनिज पट्टाधारकों को खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 (एमसीडीआर, 2017) के नियम 45(1) के प्रावधानों के तहत भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के साथ 31.03.2026 को या उससे पहले ऑनलाइन पंजीकरण करने का निदेश दिया गया है। यह छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों पर लागू है।

(ख): केंद्र सरकार ने दिनांक 13.10.2025 के उपर्युक्त आदेश के माध्यम से निदेश दिया है कि खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 और एमसीडीआर, 2017 के नियम 45 से भिन्न एमसीडीआर, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, ऐसी मौजूदा खानों पर 30.06.2026 तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(ग): केंद्र सरकार ने दिनांक 13.10.2025 के उपर्युक्त आदेश के माध्यम से यह भी निदेश दिया है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित चूना पत्थर के गौण खनिज पट्टों के लिए मौजूदा खनन योजनाएँ 31.03.2027 तक या उनकी समाप्ति तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगी, बशर्ते कि पट्टाधारक मौजूदा अनुमोदित खनन योजना की एक प्रति 31.03.2026 को या उससे पहले आईबीएम को प्रस्तुत करे।

(घ): केंद्र सरकार ने निदेश दिया है कि जहां राज्य सरकार ने 10.10.2025 से पहले खनिज रियायत देने के लिए आशय पत्र (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) जारी किया था और ऐसा आशय पत्र 10.10.2025 को वैध था या जहां खनिज रियायत देने के लिए नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई है तथा 10.10.2025 से पहले अधिमानित बोलीदाता का चयन कर लिया गया है, लेकिन खनिज रियायत देने के लिए आशय पत्र (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) जारी नहीं किया गया है, वहां खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा गौण खनिजों के संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार 13.10.2025 के आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

(ड.): चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और ओडिशा हैं। इन राज्यों में सक्रिय खनन पट्टों का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(च): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और उनसे जुड़े प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। गौण खनिजों का संपूर्ण प्रशासन और विनियमन राज्य सरकारों के पास निहित है। देश में उत्पादित गौण खनिजों की सूची अनुलग्नक- **II** में दी गई है।

*****

<u>अनुलग्नक-**I**</u>

(लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या **468** के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित)

क्र.सं.	राज्य	कार्यशील खानों की संख्या	चूना पत्थर के प्रमुख खनिक
1	राजस्थान	44	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड, जे.के. सीमेंट लिमिटेड, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनयू विस्टा लिमिटेड, वंडर सीमेंट लिमिटेड
2	मध्य प्रदेश	195	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, एसएनएस (मिनरल्स) प्राइवेट लिमिटेड, सागर सीमेंट्स (एम) प्राइवेट लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, श्री मारुति बालाजी स्टील्स लिमिटेड, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड
3	आंध्र प्रदेश	70	द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, द केसीपी लिमिटेड, पन्यम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री जयजोति सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़	60	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
5	कर्नाटक	52	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, कलबुर्गी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड, जे.के. सीमेंट लिमिटेड, गुलबर्गा सीमेंट लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड
6	तमिलनाडु	68	डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, चेट्टीनाड सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, तमिलनाडु सीमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	तेलंगाना	30	माई होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, एनसीएलइंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डेक्कन सीमेंट्स लिमिटेड, जुआरी सीमेंट लिमिटेड, सागर सीमेंट्स लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	गुजरात	83	श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जीएचसीएललिमिटेड, निरमा लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड
9	महाराष्ट्र	31	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड
10	हिमाचल प्रदेश	27	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	मेघालय	15	स्टार सीमेंट लिमिटेड, मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड, डालमिया सीमेंट

			(भारत) लिमिटेड, लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	ओडिशा	6	डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, शिवा सीमेंट लिमिटेड, द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उड़ीसा लिमिटेड।

(लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या **468** के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित)

देश में उत्पादित गौण खनिजों की सूची::

1. एगेट
2. बॉल क्ले
3. कैल्साइट
4. चाक
5. काओलिन
6. चाइना क्ले
7. क्ले (अन्य)
8. कोरंडम
9. डायस्पोर
10. डोलोमाइट
11. ड्यूनाइट या पायरोक्सेनाइट
12. फेलसाइट
13. फायरक्ले
14. जिप्सम
15. लेटराइट
16. लाइम कंकर
17. गेरू
18. पायरोफिलाइट
19. क्वार्टजाइट
20. रेत (अन्य)
21. शेल
22. सिलिका रेत
23. स्लेट
24. टैल्क/सोपस्टोन/स्टीटाइट
25. बिल्डिंग स्टोन (ग्रेनाइट और अन्य बिल्डिंग स्टोन)
26. बजरी
27. साधारण क्ले
28. संगमरमर
29. शेल जब भवन सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है
30. सैंड स्टोन जब भवन के कार्यों के लिए या रोड मेटल और घरेलू बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है
31. क्वार्टजाइट जब भवन के कार्यों या रोड मेटल और घरेलू बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है
32. साल्टपीटर
33. नीचे दिए गए निर्धारित कार्यों से भिन्न प्रयुक्त साधारण रेतः

i. रिफ्रैक्टरी और सिरेमिक बनाने के उद्देश्य से

ii. मेटलर्जिकल उद्देश्य से

iii. ऑप्टिकल उद्देश्य से

v. कोयला खानों में भराव के उद्देश्य से

v. सिल्विक्रीट सीमेंट निर्माण

vi. सोडियम सिलिकेट निर्माण

vii. मिट्टी के बर्तन और कांच निर्माण

34. बोल्डर

35. शिंगल

36.अशुद्ध क्वाट्र्ज़ कंकड़ के लिए कैल्सेडनी, जिसका प्रयोग बॉल मिल के कार्यों या बोरवेल भरने या इमारतों में सजावट के कार्यों के लिए किया जाता है।

37. लाइमशेल, जब भवन सामग्री के रूप में प्रयुक्त चूना निर्माण के लिए भट्टियों में प्रयोग होता है।

38. लाइम कंकर, जब भवन सामग्री के रूप में प्रयुक्त चूना निर्माण के लिए भट्टियों में प्रयोग होता है

39. ईंट की मृदा

40. फुलर की मृदा

41. बेंटोनाइट

42. रोडमेटल

43. रेह-माटी

44. स्लेट, जब भवन सामग्री के रूप में प्रयोग होता है

45. घर के बर्तन बनाने के लिए प्रयोग होने वाले पत्थर

46. साधारण मृदा, जब तटबंधों, सड़कों, रेलवे, भवन आदि के निर्माण में लेवलिंग या भरने के कार्यों के लिए प्रयोग होती है।

47. मुरुम

48. कैल्केरियस रेत

49. फ्यूशाइट-क्वाट्र्जाइट

50. जैस्पर